भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1600
दिनांक 29 जुलाई, 2025 / 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

भारत-पाकिस्तान सीमा पर पुरानी बाड़ को हटाना

1600. श्री शेर सिंह घुबाया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चूँकि हाल ही में भारत-पाकिस्तान सीमा पर नई बाड़ लगाई गई है, सरकार की पुरानी बाड़ हटाने के लिए क्या योजना है;

(ख) क्या सरकार के पास पुरानी तारों को हटाने, उनके पुनः उपयोग और उचित निपटान के लिए कोई नीति है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): सीमा बाड़ का प्रतिस्थापन और उन्नयन एक निरंतर प्रक्रिया है।

(ख) से (घ): पुराने तारों का पुन: उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि एक बार हटाने के बाद वे पूरी तरह से अनुपयोगी हो जाते हैं। हालांकि, पुरानी बाड़ का क्रेडिट मानदंडों के अनुसार प्रतिस्थापन की निविदा में शामिल किया जाता है।
